न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 93 / 2021 अपील / बांसवाडा (GCMS 2021/102)

पंजीयन दिनांक– 22.02.2021

निर्णय दिनांक– 27.07.2021

1. **क–** श्री मांगीलाल पिता स्व. श्री कन्हैयालाल गरो, निवासी गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा।
   ख– श्रीमती उर्मिला पिता स्व. श्री कन्हैयालाल गरो, निवासी गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा। (वारिसान अपीलांट / प्राथी कन्हैयालाल)
2. श्री नंदलाल पिता स्व. श्री पुरूषोतमलाल गरो, निवासी गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा।
3. श्री नारायणलाल पिता स्व. श्री पुरूषोतमलाल गरो, निवासी गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा।
4. श्रीमती शारदा देवी पत्नि नारायणलाल गरो, निवासी गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री उमाशंकर पिता स्व. श्री भूरा गरो, निवासी गढ़ी, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गढ़ी, जिला बांसवाडा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हितेश गिरी –अधिवक्ता अपीलांट्स
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
उपखण्ड़ अधिकारी, गढ़ी के प्रकरण संख्या 27 / 2018
निर्णय दिनांक 08.01.2021

निर्णय

दिनांक 27.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, गढ़ी

के प्रकरण संख्या 27/2018 निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 22.02.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 108 (नया) 102 (पुराना) के सर्वे नम्बर 889 रकबा 0.21 हैक्टेयर जिसका तुलनात्मक नम्बर 5921/1827 है व खाता संख्या 109 (नया) 103 (पुराना) का आराजी नम्बर 967 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं 968 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि वाके गांव गढ़ी में स्थित है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 की उक्त भूमि पूर्व में उनके पिता पुरूषोतम व चाचा उमाशंकर के संवत 2034 की जमाबंदी खाता संख्या 18 (नया) 18 (पुराना) और संवत 2056–2059 के खाता संख्या 48 (नया) 23 (पुराना) में दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें अपीलांट के पिता व चाचा की जाति गरो अंकित है, परंतु संवत 2056–2059 की जमाबंदी के खाता संख्या 108 (नया) 102 (पुराना) एवं 109 (नया) 103 (पुराना) में अपीलांट्स के नाम के साथ अंकित जाति में गरो के स्थान पर गर्ग (गरू) कर दी है जिस कारण आये दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अपीलांट्स के नाम से जाति विभिन्न दस्तावेजों में उनकी गरो ही अंकित की हुई है। जिस वजह से अपीलांट अत्यधिक परेशान होकर राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटी को शुद्ध कर अपीलांट की जाति गर्ग (गरू) के स्थान पर गरो किया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण संख्या 27/2018 निर्णय दिनांक 08.01.2011 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं खाता संख्या 109 (नई) 103 (पुरानी)***

की नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075, खाता संख्या 108 (नई) 102 (पुरानी) की नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075, न्यायालय उपखण्ड दण्ड नायक, बांसवाडा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 29.08.1983, कार्यालय तहसीलदार, बांसवाडा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 30.12.1987, खाता संख्या 18 (नई) 18 (पुरानी) की नकल जमाबंदी संवत 2034, खाता संख्या 47 (नया) 22 (पुराना) एवं खाता संख्या 48 (नया) 23 (पुराना) की नकल जमाबंदी सवत 2056 से 2059, तूलनात्मक पत्रक आदि की छाया प्रति एवं भूमिधारी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण की पृथक–पृथक खातेदारी भूमि में पृथक–पृथक जाति दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रार्थीगण की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 108 (नई) 102 (पुराना) में जाति गर्ग (गरू) दर्ज रेकार्ड है। जो वर्तमान में उक्त जाति के इस क्षेत्र में निवासरत समुदाय की जाति के अनरूप होकर सही है।''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश गिरी उपस्थित व रेस्पोडेंट 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्ररकण में रेस्पोडेंट संख्या 2 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच कराई गई, जो कि भूमिधारक है ने अपनी रिपोर्ट में सुसंगत स्पष्ट रूप से अपीलांट्स के कथनों की व राजकीय अभिलेखों की ताईद करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो स्वीकृत अभिलेख है। जिसके न माने जाने का तनिक भी आधार अभिलेख पर न होते हुए भी विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया। प्रकरण में समुचित साक्ष्य व अभिलेख स्वामित्व

संबंधित दस्तावेज पूर्व व पश्चात के संलग्न है जिससे जाहिर है कि मात्र कुछ जमाबंदी में गर्ग (गरू) अंकित है। जबकि इन्हीं खसरा संख्या की व अन्य भूमि के राजस्व अभिलेखों में आज भी गरो ही अंकित है। रेस्पोडेंट संख्या 1 जो कि अपीलांट के मूल पुरूष सजरा खानदान का सदस्य है और उमाशंकर के खातदारी हक की भूमि के राजस्व अभिलेखों में इसकी जाति गरो ही अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 3 में अपीलांट के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया गया है और अंतिम पैरा में यह उल्लेख करते हुए कि उक्त जाति के इस क्षेत्र में निवासी की जाति के अनुरूप होकर सही है। जबकि अनुतोष राजस्व अभिलेखों में अंकित लिपिकीय चूक को दुरस्त किये जाने हेतु प्रकरण संस्थित किया गया था। भू–प्रबंध विभाग का यह वैधानिक दायित्व विधि द्वारा आरोपित है कि भू–प्रबंध कार्यवाही पुनरीक्षण के क्रम में पूर्व की प्रविष्ठियों की पुर्नरावृति ही करना है न कि किसी तरह का रद्दोबदल। और हस्तगत प्रकरण में लिपिकीय चूक अभिलेखों में दर्ज होने के करण इन्द्राज दुरस्ती चाही गई है। उक्त वांछित संशोधन से कोई भी हानि या लाभ किसी भी पक्षकार को नही होना है। न ही संभावित ही है क्योंकि गरो अनुसूचित जाति का सदस्य है और उल्लेखित विरोधाभासी तथ्य गर्ग (गरू) स्वर्णजाति है। जबकि अपीलांट्स का कथन यह है कि हम जाति के गरो होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है। और उक्त तथ्यों का रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपनी रिपोर्ट की चरण संख्या 3 में स्पष्ट अंकन किया गया है। समस्त अपीलांट एक ही परिवार के सदस्य है एवं सभी के जाति प्रमाण पत्र जो कि उपखण्ड दण्डनायक एवं तहसीलदार, बांसवाडा द्वारा समय समय पर जारी किये गये है उसमें भी जाति गरो ही अंकित है और इन्ही अपीलांट की पूर्व की जमाबंदी खसरा संख्या 967, 968 में सहखातेदार उमाशंकर रेस्पोडेंट संख्या 1 होकर जमाबंदी संवत 2060 में जाति गरो ही अंकित है। और कई राजस्व अभिलेखों में अपीलांट की जाति गरो होने की पूर्ण पुष्टि होती है। उक्त तथ्यों को

नजरअंदाज कर पारित विधि विरूद्ध आदेश अपास्त फरमाये जाने योग्य है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2021 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेशशुदा रेकर्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2034 में भूमियां कन्हैयालाल, नन्दलाल, नारायण पिता पुरूषोत्तम एवं उमाशंकर जाति गरो के नाम से दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेशशुदा मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी नं0 1026, 1028 एवं 1030 से नवीन आराजी नं0 967 रकबा 0.18 हैक्टेयर बनी है। आराजी नं0 967 वर्तमान में कन्हैयालाल, नारायण पिता पुरूषोत्तम व शारदा पत्नी नारायणलाल, उमाशंकर पिता भूरा गर्ग अंकित कर दिया है अर्थात् यह स्पष्ट होता है कि आराजी नं0 967 में साबिक सम्वत् 2034 की जमाबंदी की प्रविष्ठि के हिसाब से जो परिवर्तन हुआ है, जाति पूर्व में गरो अंकित थी, उसे गर्ग अंकित कर दिया है साथ ही जो परिवर्तन नन्दलाल के स्थान पर शारदा देवी पत्नी नारायण हुआ है, उसके लिए अपीलाण्ट द्वारा दौराने अपील एक विक्रय–पत्र प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि नन्दलाल द्वारा शारदा देवी पत्नी नारायण लाल को विक्रय किया गया है जो नारायण इस भूमि में अर्थात् 967 में पूर्व से खातेदार है अर्थात् आराजी नं0 967 में खातेदारों के नाम में जो जाति पूर्व में गरो अंकित थी, उसे गर्ग अंकित किया जाना प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। जहां तक आराजी नं0 968 का प्रश्न है, अपील के दौरान अपीलाण्ट द्वारा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि यह आराजी भी साबिक आराजी नं0 1026, 1028 व 1030 मीन से बनी है, तद्नुसार

आराजी नं0 967 व 968 में खातेदार कन्हैयालाल, नारायण पिता पुरूषोत्तम व शारदा देवी पत्नी नारायण, उमाशंकर पिता भेरा गर्ग अंकित किया है, वह साबिक सेटलमेंट की तुलना में त्रुटिपूर्ण है एवं उक्त गर्ग के स्थान पर साबिक सेटलमेंट के अनुसार गरो किया जाना औचित्यपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रेकर्ड का अवलोकन किये बिना यह अंकित कर ''प्रार्थीगण की पृथक–पृथक खातेदार भूमि में पृथक–पृथक जाति दर्ज रेकर्ड है। वर्तमान में उक्त जाति के इस क्षेत्र में निवासरत समुदाय की जाति के अनुरूप होकर सही है।'', वर्णन कर प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया है जो तथ्यों एवं रेकर्ड अनुसार नहीं है। प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबंदी में आराजी नं. 967 एवं 968 में साबिक सेटलमेंट के अनुसार जाति गरो ही अंकित है तो फिर वर्तमान खातों में उक्त गरो को वर्तमान में गर्ग अंकित किये जाने का कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों, रेकर्ड एवं विधि के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जाकर उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी नं0 967 व 968 के जाति जो गर्ग अंकित है, उसे साबिक सेटलमेंट व वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 अनुसार गरो अंकित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। अपील स्वीकार की जाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर